न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 05/2024 (GCMS: 2024/11)
सरकार जरिये सुरेश कुमार, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर
बनाम
विनोद पुत्र श्री इंद्राज, वार्ड नं. 9, 23 एलएनपी, लाधुवाला तहसील श्रीगंगानगर
मोबाईल नं. 94139-51777

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी विनोद के अधिवक्ता श्रीमती चन्द्रकान्ता एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार उपस्थित हुए। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रकरण में लिखित बहस पेश की हुई है एवं विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती चन्द्रकान्ता ने अपनी लिखित बहस कथन किया था कि प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा की गई आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी का वाहन कार आर जे 14 जीए 6605 को वजह सबूत के आधार पर जब्त किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में गलत रूप से आरोपी संस्थित किया गया है व गलत रूप से प्रार्थी का वाहन जब्ती की कार्यवाही की गई है, जबकि प्रार्थी का उक्त प्रकरण से कोई लेना देना नहीं हैं, प्रार्थी को उक्त प्रकरण में गलत रूप से फंसाया गया है। उक्त प्रकरण में मौके पर जो डीजल बारामदगी दिखाया गया है। प्रार्थी को कुछ काश्तकारों द्वारा अपने कृषि उपकरणों के लिए डीजल लाने का कहकर दिहाड़ी पर लेकर गये थे, जिस पर प्रार्थी कृषकों के कहे अनुसार उनके कृषि कार्य के लिए डीजल लेकर आ रहा था तो उसे जांच अधिकारी द्वारा रोका गया तो प्रार्थी द्वारा सही वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया परन्तु जांच अधिकारी द्वारा सही तथ्यों का छिपाव करते हुए केवल मात्र कोटा पूरा करने के लिए मिथ्या कार्यवाही संस्थित कर प्रार्थी को विक्रय करने के लिए डीजल लाना अंकित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से कोई डीजल विक्रय करने का कार्य नहीं किया जाता ना ही उक्त डीजल प्रार्थी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/उपभोग हेतु लाया जा रहा था, उक्त डीजल काश्तकारों का था वो भी उनके द्वारा अपने कृषि उपकरणों के प्रयोग हेतु लाया था

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार से डीजल विक्रय करने का कार्य नहीं किया जाता है, ना ही इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली में मौजूद है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रथम दृष्टया ही निर्दोष साबित होता है तथा प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की अवमानना नहीं गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी एक वाहन चालक है जो कि अपनपा वाहन चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता है। प्रार्थी का उक्त प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है। रसद विभाग द्वारा पेश किये गये परिवाद में कही भी डीजल विक्रय करने के साक्ष्य उपलब्ध नही है। प्रार्थी उक्त वाहन का खरीदशुदा मालिक है, जिसे उक्त वाहन की अपने जीवन यापन हेतु हमेशा आवश्यकता रहती है। अतः प्रार्थी का उक्त प्रकरण में कोई सरोकार नहीं होने के कारण व इस सम्बन्ध में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे और जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 23.12.2023 को अवैध पेट्रोल एवं डीजल [illegible] की शिकायत की जाचं करने जिला रसद अधिकारी मय स्टाफ [illegible] साधूवाला पहुचें तो वहां एक सफेद रंग टाटा एस गाडी नम्बर आरजे 14 जीएल 6605 अवैध पेट्रोल व डीजल बेचान करता पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर गाड़ी में उपस्थित वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम विनोद पुत्र इन्द्राज बताया। विनोद कुमार, वाहन चालक की उपस्थिति में उक्त वाहन टाटा एस गाडी नम्बर आरजे 14 जीएल 6605 की तलाशी ली गई तो उसमे 920 लीटर एवं 146 लीटर पैट्रोल भौतिक रूप से उपलब्ध पाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर गाड़ी आरजे 14 जीएल 6605 गलव बॉक्स की तालाशी में 03 सफेद कागज की पर्ची पाई गई, जिस पर दिनांक सहित **पेट्रोल डीजल बिक्री संबंधी हिसाब** हस्तलिखित **होना पाया गया**। उक्त गाड़ी में एक छोटी डायरी जिसके ऊपर जेके लक्ष्मी सीमींट मार्क/लिखा होना पाया गया। डायरी की जांच में उसके अन्दर वाले पेज पर पेट्रोल/डीजल की मात्रा व राशि का लेखा जोखा लिखा होना पाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर गाड़ी आरजे 14 जीएल 6605 के आगे के भाग में जांच के समय 06 लाल रंग की छोटी पर्ची/कैश मैमो पाई गई। सभी कैश मैमो इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प मैसर्स बसंत पैट्रो सैन्टर, एनएच नम्बर 15(62) अबोहर–श्रीगंगानगर रोड़ गांव गुमजाल तहसील अबोहर से जारी होना पाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर गाडी आर जे 14 जीएल 6605 के वाहन चालक श्री विनोद पुत्र इंद्राज से गाड़ी के दस्तावेज तथा पेट्रोल डीजल भण्डारण व बेचना सम्बन्धी अनुज्ञा पत्र को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पूछताछ पर श्री विनोद द्वारा उक्त कोई दस्तावेज व वाहन आरजे 14 जीएल 6605 को पेट्रोल/डीजल बेचान के लाईसेंस/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही गाडी में उपलब्ध कागज की हस्तलिखित पर्चीं, डायरी, कैश मैमों के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक जवाब दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि पूछताछ में विनोद ने यह स्वीकार किया है कि वाहन संख्या आरजे 14 जीएल 6605 में उपस्थित ड्रमों में डीजल तथा बोतल व कैनियों में पेट्रोल है तथा वह पंजाब के पेट्रोल पम्प बसंत पेट्रो सेन्टर गुमजाल, तहसील अबोहर से खरीदकर लाता है और उपभोताओं से राशि वसूल कर पेट्रोल/डीजल बेचान करता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि वाहन संख्या आरजे 14 जीएल 6605 में पेट्रोल/डीजल हिसाब की हस्तलिखित पर्चिया, डायरी सुमिन्न माप के मापक, कीप, हस्तचलित पम्प तथा कैरेट में उपलब्ध 01 व 02 लीटर क्षमता की बोतलें व डीजल के कैश मैमों के पाये जाने से वाहन चालक विनोद की पेट्रोल/डीजल स्वयं के उपभोग नहीं करना व उपभोक्ताओं से बेचान कर मुनाफा कमाने की मंशा स्पष्ट रूप से प्रकट होती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि जब्तशुदा डीजल से प्रार्थी को कोई देना नहीं है, प्रार्थी अन्य काश्तकारों के कहे अनुसार उनके कृषि कार्य के लिए डीजल लेकर आ रहा था, का कथन बिल्कुल गलत है। अगर वह अन्य काश्तकारों हेतु डीजल लाया होता तो अन्य काश्तकार भी उक्त डीजल की मांग करते, परन्तु किसी भी काश्तकार द्वारा डीजल/पेट्रोल की मांग नहीं की गई है और ना ही प्रार्थी के अधिवक्ता अपनी लिखित बहस के साथ कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि विनोद पुत्र इंद्राज द्वारा बिना अनुमति अनुज्ञापत्र के वाहन संख्या आरजे 14 जीएल 6605 द्वारा पंजाब से पेट्रोल/डीजल क्रय कर ग्राम लखूवाली में उपभोक्ताओं से राशि वसूल कर बेचना करना **मोटर स्प्रिट और उच्च गति डीजल (प्रदाय, भण्डारण और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 एवं पेट्रोलियम पदार्थ वर्ग "क" का बिना अनुज्ञप्ति के अत्यधिक मात्रा में भण्डारण "विलायक,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

रेफिनेट, स्लोप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग में निवारण), आदेश 2000 में पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण पेट्रोलियम नियम 2002 की शर्त संख्या 02 का स्पष्ट उललंघना किये जाने के कारण उससे जब्तशुदा 146 लीटर पेट्रोल, 920 लीटर डीजल मय ड्रम कैनी, बोतल व वाहन संख्या आरजे 14 जीएल 6605 को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी विनोद के अधिवक्ता श्रीमती चन्द्रकान्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 23.12.2023 को श्री सुरेश कुमार, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय स्टाफ, ग्राम पंचायत लाधुवाला तहसील गंगानगर पहुंचे। **जहां एक सफेद रंग टाटा एस गाडी जिसका नम्बर आरजे 14 जीएल 6605 अवैध पेट्रोल, डीजल बेचान करता पाया गया। मौके पर टाटा एस गाडी आर जे 14 जीएल 6605 के वाहन चालक ने गाड़ी भगाने का प्रयास किया परन्तु राजकीय वाहन के द्वारा गाड़ी को ओवर टेक कर रूकवाया गया।** मौके पर गाडी आरजे 14 जीएल 6605 पीछे की तरफ से पूरी तरह लोहे की बंद बॉड़ी से कवर की हुई पाई गई। मौके पर गाडी में उपस्थित वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना परिचय विनोद पुत्र इन्द्राज, निवासी वार्ड नं. 9, 23 एलएनपी, ग्राम पंचायत लाधूवाला आधार संख्या 8155 8108 33535 मोबाईल नम्बर 94139—51777 बताया। मौके पर वाहन चालक की उपस्थिति में टाटा एस गाडी आरजे 14 जीएल 6605 की तलाशी ली गई तो गाडी में पीछे की तरफ 04 नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम (230 लीटर क्षमता के), 03 प्लास्टिक कैरेट में 40 छोटी बोतले जिनमें 2 लीटर क्षमता की 26 तथा 01 लीटर क्षमा की 14 बोतलें, 03 प्लास्टिक कैनियां में (25 लीटर क्षमता की), 01 प्लास्टिक कैनी (55 लीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्षमता की), 02 लोहे के माप क्रमशः 10 लीटर व 02 लीटर क्षमता के 03 कीप तथा 01 हस्तचालित पंप जो कि जरिये पाईप ड्रम से जुडा होना पाया गया। मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि 04 नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम डीजल से पूरे भरे पाये गये। 04 ड्रमों में कुल 920 लीटर डीजल उपलब्ध पाया गया। कैरेट में रखी 26 बोतलें (02 लीटर क्षमता) तथा 14 बोतले (01 लीटर क्षमता) पेट्रोल से पूरी भरी हुई पाई गई। कैरेट में रखी बोतलों में 26 X 2 = 52लीटर, 14 X 1 = 14 लीटर कुल 66 लीटर पेट्रोल भरा पाया। 03 प्लास्टिक कैनियां (25 लीटर क्षमाता की) में एक कैनी जिसका ढक्कन पीले रंग का 25 लीटर पेट्रोल भरा पाया गया। दूसरी कैनी जिसका नीले रंग का ढक्कन था उसमें 25 लीटर पेट्रोल भरा पाया गया। तीसरी कैनी जिसके लाल रंग का ढक्क्न लगा हुआ था उसमें 15 लीटर पेट्रोल पाया गया व 55 लीटर क्षमता की 01 कैनी में 15 लीटर पेट्रोल भौतिक रूप से पाया गया। अतः गाडी संख्या आरजे 14 जीएल 6605 में कुल 920 लीटर डीजल तथा (52+14+25+25+15 + 15) कुल 146 लीटर पेट्रोल भौतिक रूप से उपलब्ध पाया गया। मौके पर गाड़ी आरजे 14 जीएल 6605 गलव बॉक्स की तलाशी में 03 सफेद कागज की पर्ची पाई गई। जिस पर दिनांक सहित पेट्रोल/डीजल **बिक्री संबंधी हिसाब हस्तलिखित होना पाया।** उक्त गाडी में दिनांक सहित पेट्रोल/डीजल बिक्री संबंधी हिसाब हस्तलिखित होना पाया। उक्त गाड़ी में एक छोटी डायरी जिसके ऊपर जेके लक्ष्मी सीमेंट मार्क/लिखा होना पाया। डायरी की जांच मे उसके अन्दर वाले पेज पर पेट्रोल/डीजल की मात्रा व राशि का लेखा जोखा लिखा होना पाया गया। **मौके पर गाडी आरजे 14 जीएल 6605** के आगे के भाग में दौरान जांच 06 लाल रंग की छोटी प[illegible] मैमो की पाई गई। सभी **कैश मैमो इण्डियन ऑयल पेट्रोल पंप मैसर्स [illegible] सेन्टर, एनएच नम्बर 15 (62) अबोहर–श्रीगंगानगर रोड़ गांव गुमज[illegible] तहसील अबोहर से जारी होना पाया।** कैश मैमो के विवरण अनुसार पहला कैश मैमो नम्बर 5524 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

24.12.2023 को नाम दीपू, डीजल की मात्रा 230 लीटर, रेट 89 / 13 राशि 20499.90 रूपये से जारी होना पाया गया। दूसरा कैश मैमो नम्बर 5534 दिनांक 26.12.2023 का नाम राधेश्याम, डीजल की मात्रा 230 लीटर, रेट 89 / 13 राशि 20500.00 रूपये, तीसरा कैश मैमो 5535 दिनांक 26.12.2023 का नाम विनोद, डीजल की मात्रा 230 लीटर रेट 89 / 13 राशि 20500.00 रूपये से, चौथा कैश मैमो नम्बर 5536 दिनांक 26.12.2023 का नाम मनोज, डीजल की मात्रा 230 लीटर, रेट 89 / 13 राशि 20500.00 रूपये से, पांचवा कैश मैमो नम्बर 5537 दिनांक 26.12.2023 का का नाम गोपाल, डीजल की मात्रा 230 लीटर, रेट 89 / 13 राशि 20500.00 रूपये से तथा छठा कैश मैमो नम्बर 5538 दिनांक 26.12.2023 का नाम शीलू, डीजल की मात्रा 230 लीटर, रेट 89 / 13 राशि 20500.00 रूपये से जारी होना पाया गया। मौके पर गाड़ी आरजे 14 जीएल 6605 के वाहन चालक श्री विनोद पुत्र इंद्राज से गाड़ी के दस्तावेज तथा पेट्रोल / डीजल भण्डारण व बेचान सम्बन्धी अनुज्ञा पत्र को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पूछताछ पर **श्री विनोद द्वारा उक्त कोई दस्तावेज व वाहन आरजे 14 जीएल 6605 को पेट्रोल / डीजल बेचान के लाईसेंस / परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही गाडी में उपलब्ध कागज की हस्तलिखित पर्ची, डायरी व कैश मैमों के सम्बन्ध में कोई संतोषजन जवाब दिया**। पूछताछ में विनोद यह स्वीकार किया कि **वाहन संख्या आरजे 14 जीएल 6605 में उपस्थित ड्रमों में डीजल तथा बोतल व कैनियों में पेट्रोल है तथा वह पंजाब के पेट्रोल पम्प बसंत पेट्रो सेन्टर गुमजाल तहसील अबोहर से खरीद कर लाता है तथा उपभोक्ताओं से राशि वसूल कर पेट्रोल / डीजल बेचान करता है। मौके पर विनोद पुत्र** इन्द्राज ग्राम पंचायत लाधुवाला तहसील श्रीगंगानगर द्वारा पेट्रोल / डीजल बेचान संबंधी अनुज्ञा पत्र नहीं होने से उक्त 04 [illegible] के प्लास्टिक ड्रम (230 लीटर क्षमता के), 03 प्लास्टिक [illegible] से 2 लीटर क्षमता की 26 तथा 01 लीटर क्षमता [illegible] प्लास्टिक कैनियों में (25 लीटर क्षमता की), 01 प्लास्टिक कैनी (55 लीटर क्षमता की), 02 लोहे के माप क्रमशः

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

10 लीटर व 2 लीटर क्षमता के, 03 कीप तथा 01 हस्तचलित पंप जो कि जरिये पाईप ड्रम से जुडा मय 146 लीटर पेट्रोल तथा 920 लीटर डीजल तथा 03 कागज की हस्तलिखित पर्चियां, एक डायरी, 06 कैश मैमों मय वाहन आरजे 14 जीएल 6605 को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया और जब्त किये गये उक्त 146 लीटर पेट्रोल, 920 लीटर डीजल मय ड्रम, कैनी, बोतल व वाहन संख्या आरजे 14 जीएल 6605 को जरिये सुपुर्दगीनामा ग्राम पंचायत लाधुवाला के उचित मूल्य दुकानदार गोपाल पुत्र रामलाल (पोस मशीन 29311 प्राधिकार पत्र संख्या 90/1988) के सुपुत्र श्री मनीष टांटीया पुत्र गोपाल टांटिया निवासी 3 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर को सुपुर्दगी में दिया गया। जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **वाहन संख्या आरजे 14 जीएल 6605** में पेट्रोल/डीजल हिसाब की हस्तलिखित पर्चिया, डायरी, सुभिन्न माप के मापक, कीप, हस्तचलित पम्प तथा कैरेट में उपलब्ध 01 व 02 लीटर क्षमता की बोतले, डीजल के कैश मैमों के पाये जाने से वाहन चालक विनोद पुत्र इन्द्राज की पेट्रोल/डीजल स्वयं के लिए उपभोग नहीं करना व उपभोक्ताओं से बेचान कर मुनाफा कमाने की मंशा स्पष्ट रूप से प्रकट होना अंकित किया है। विनोद पुत्र इंद्राज द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के चलित वाहन संख्या आरजे 14 जीएल 6605 द्वारा पंजाब से पेट्रोल/डीजल क्रय कर ग्राम लाधूवाला में उपभोक्ताओं से राशि वसूल कर बेचना करना **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन** किया है। विनोद पुत्र इन्द्राज द्वारा **पेट्रोलियम पदार्थ वर्ग "क" का बिना अनुज्ञप्ति के अत्यधिक मात्रा में भण्डारण "विलायक, रेफिनेट, स्लोप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग में निवारण), आदेश 2000 में पेट्रोलियम [illegible] का वर्गीकरण पेट्रोलियम नियम 2002 की शर्त संख्या 02 का स्पष्ट उल्लंघन** किया है इसलिए अतः जब्तशुदा 146 लीटर पेट्रोल, 920 लीटर डीजल मय ड्रम कैनी, बोतल व वाहन संख्या आरजे 14 जीएल 6605 को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी विनोद के अधिवक्ता ने अपने लिखित बहस में कथन किया है कि जब्तशुदा डीजल प्रार्थी विनोद का न होकर अन्य काश्तकारों का है, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी के अधिवक्ता ने साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया है, जो यह साबित करता हो कि जब्तशुदा पेट्रोल/डीजल प्रार्थी की न होकर अन्य काश्तकारों की है और फर्द मौका पर प्रार्थी स्वयं ने उक्त पेट्रोल/डीजल स्वयं का होना स्वीकार किया है इसलिए उक्त जब्तशुदा पेट्रोल/डीजल अन्य काश्तकारों के होने से सम्बन्धित प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अप्रार्थी विनोद से वाहन संख्या आरजे 14 जीएल 6605 मय 146 लीटर एवं 920 लीटर डीजल जब्त किया गया है। अप्रार्थी विनोद द्वारा क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी विनोद द्वारा **अवैध पेट्रोलियम पदार्थों का क्रय, बेचान, परिवहन व संग्रहण किया जा रहा था।** जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण के साथ पेट्रोल/डीजल के बेचान के हिसाब की हस्तलिखित पर्चिया प्रस्तुत की है, जिस पर अप्रार्थी विनोद ने स्वयं ने हस्ताक्षर भी किये है, जो निम्न प्रकार से है, जिनकी मूल प्रति पत्रावली में उपलब्ध है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

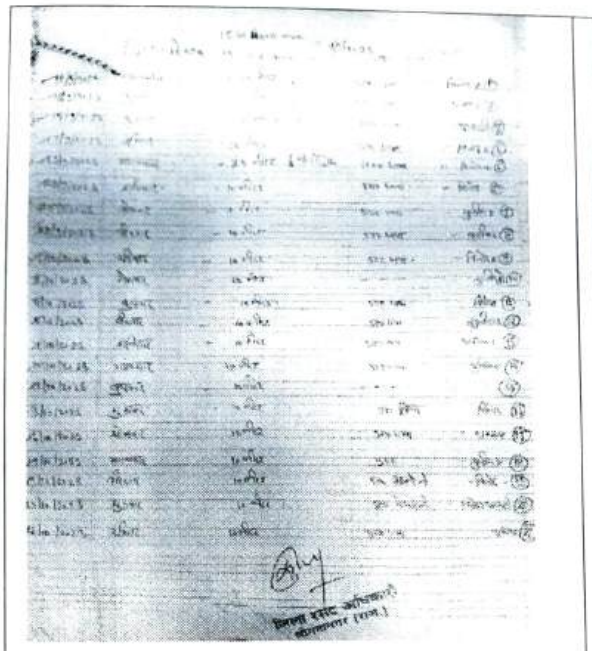

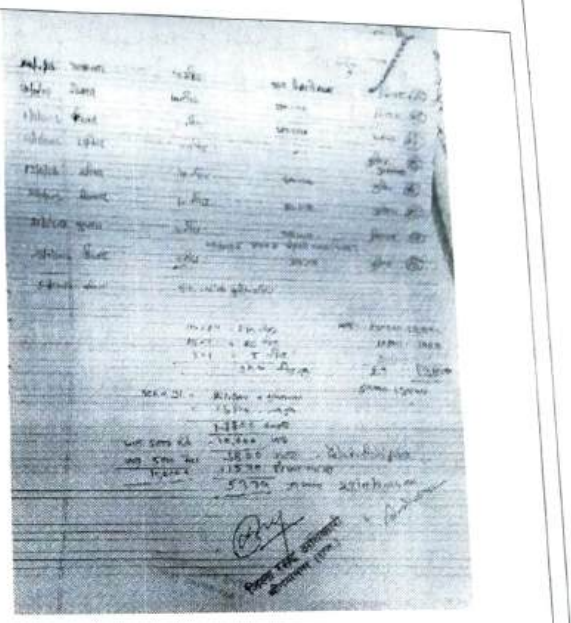

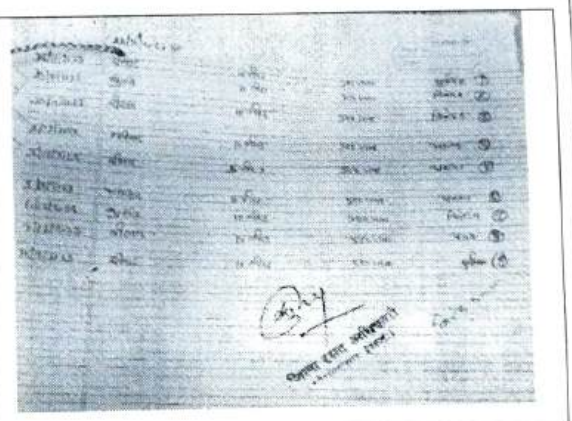

उक्त हस्तलिखित हिसाब की यह साबित करता है कि अप्रार्थी द्वारा लगातार पेट्रोल/डीजल बेचना सम्बन्धी कार्य किया जा रहा था।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, [illegible] भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

12(1) ....

12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग ''क'', 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ''ख'' एवं 5000 लीटर वर्ग ''ग'' के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से 146 लीटर पेट्रोल एवं 920 लीटर डीजल का भण्डारण एवं बेचान करते हुए जब्त किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध लिखित जवाब के साथ अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता जानबूझकर कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए अप्रार्थी से उक्त जब्तशुदा 146 लीटर पैट्रोल एवं 920 लीटर डीजल को अन्य काश्तकारों का होना बताया जा रहा है, जो सही प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार से न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं कर सकते।

इस प्रकार अप्रार्थी के [illegible] 146 लीटर पेट्रोल एवं 920 लीटर डीजल बेचान करते हुए [illegible] अप्रार्थी विनोद के पास उक्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल परिवहन/बेचान व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है। इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

लिप्त है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 एवं पेट्रोलियम पदार्थ वर्ग "क" का बिना अनुज्ञप्ति के अत्यधिक मात्रा में भण्डारण "विलायक, रेफिनेट, स्लोप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग में निवारण), आदेश 2000 में पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण पेट्रोलियम नियम 2002 की शर्त संख्या 02 का स्पष्ट उललंघन किया है।

अप्रार्थी ने उक्त डीजल एवं पेट्रोल क्रय / विक्रय / भण्डारण / परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी पेश नही किया है। जबकि रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 के बिन्दु संख्या 12 में निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **विलायकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में — स्पष्टीकरण**
>
> **(12) पत्रांक : पी—3 / जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी, जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग**
>
> (1) पेट्रोलियम उत्पदों का वर्गीकरण — पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फ्लैश प्वाईन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी **वर्ग क** में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं **जिनका फ्लेश प्वाईट 6[illegible] से.ग्रे. से अधिक एवं 95 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये [illegible] में वर्गीकृत किये गये है।**
>
> Class A : Hexane, NGL, Heptane
> Class B : MTO,C-9,Solvent/rafinates, C-9 raffinates-Solvent90, Iomex
> Class C : Furance Oil (FO), Lighet Diesel Oil(LDO, Aromex

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

बाकी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट/एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन, सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईन्ट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

(2) **उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डरण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर** अविपुल पेट्रोलियम **वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

....

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 146 लीटर पेट्रोल एवं 920 लीटर डीजल भण्डारण एवं बेचान करते जब्त किया गया हैं। इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त वाहन टाटा एस गाड़ी नम्बर आरजे 13 जीएल 6605 मय पेट्रोल/डीजल के **राजसात करने योग्य ठहरते है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और** ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) **आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2)** की अवेहलना के कारण **जब्तशुदा** पेट्रोल/डीजल **एवं वाहन** एस गाड़ी नम्बर आर जे 13 जीएल 6605 **भी राजसात किये जाते है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल व पैट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात** करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद / अभियोजन / 2024 / राजकाज 9393739 दिनांक 30.07.2024 के अनुसार जब्तशुदा वाहन एस गाड़ी नम्बर आरजे 13 जीएल 6605 का अनुमानित **बाजार भाव 2.20/– लाख रूपये है। इसलिए वाहन पर 1.75/– लाख रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो** जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर **उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।**

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(I) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 146 लीटर पेट्रोल एवं 920 लीटर डीजल **के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये** 146 लीटर पेट्रोल एवं 920 लीटर डीजल **की विक्रय राशि एवं अन्य को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग–अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता **सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है।**

अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत कोई कार्रवाई हो तो वह अलग से जारी रखे। **अतः वाहन रिलिज करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग का कोई राज्य सरकार का राजस्व देय बनता है तो सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने पर ही वाहन रिलिज करना सुनिश्चित करें।**

चूंकि उक्त प्रकरण में 146 लीटर पेट्रोल एवं 920 लीटर डीजल **एवं उक्त वाहन** टाटा एस गाड़ी नम्बर आर जे 13 जीएल 6605 **राजसात करने के आदेश दिये गये है।** माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार जब्त वाहन के बाज़ार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। उक्त जब्तशुदा वाहन** टाटा एस गाड़ी नम्बर आर जे 13 जीएल 6605 **का बाजार मूल्य 2.20/– लाख रूपये है। इसलिए उक्त वाहन** टाटा एस गाड़ी नम्बर आर जे 13 जीएल 6605 **पर 1.75/– लाख रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है और जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये जाते है।** राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत कोई कार्रवाई हो तो उसे इस प्रकरण से अलग किया जाकर, जारी रखा जावे। इस आदेश की प्रति अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को दी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील शामिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया, जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.25 17:07:38 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर